



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19062026-273645  
CG-MH-E-19062026-273645

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3117]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2026/ज्येष्ठ 29, 1948

No. 3117]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2026/JYAISTHA 29, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 15 जून, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 3240(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से महाराष्ट्र राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारियों को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में इस प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

## सारणी

क्रमांक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. उप जिला अधिकारी (भूमि अधिग्रहण) एवं नोडल अधिकारी, विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय, अमरावती । 2. उप जिला अधिकारी (भूमि अधिग्रहण), अ.व.प्र.क्र. 2, अमरावती ।	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (अमरावती जिला)
2.	1. उप विभागीय अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नागपुर (ग्रामीण) । 2. उप विभागीय अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मौदा ।	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (नागपुर जिला)
3.	उप विभागीय अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी तथा नोडल अधिकारी, भंडारा/तुमसर (भंडारा एवं मोहाडी तहसील हेतु) ।	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (भंडारा जिला)

[फा. सं. G197/DFFCIL Project/Amravati+2 Districts/7A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAY

(Central Railway)

## NOTIFICATION

Mumbai, the 15th June, 2026

## Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

**S.O. 3240(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorize the Officer mentioned in **column (2)** of the table below as the “**Competent Authority**” to perform the functions of such Authority under the said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in **column (3)** of the table below in the state of Maharashtra with effect from the date of publication of this notification of the official Gazette.

## TABLE

SR. No.	Competent Authority	Name of the special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	1. Sub-Divisional Officer (Land Acquisition), Special Land Acquisition Office, Amravati 2. Sub-Divisional Officer (Land Acquisition), Office No. 2, Amravati	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the East to Surat in the West (Amravati district)
2.	1. Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Nagpur (Rural) 2. Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Mauda	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the East to Surat in the West (Nagpur district)
3.	Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer and Nodal Officer, Bhandara/Tumsar (For Bhandara & Mohadi Tehsils)	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the East to Surat in the West (Bhandara district)

[F. No. G197/DFFCIL Project/Amravati+2 Districts/7A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Admin. Officer (Construction)